न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (R.A.S.)

दावा संख्या 123 / 2019	रजू दिनांक 03.06.2019	निर्णय दिनांक 09.07.2025

उनवान

1. देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी पदमाडा कंला तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
2. शशी देवी पत्नी स्व0 श्री महेन्द्र कुमार शर्मा
3. ज्योति शर्मा पुत्री स्व0 श्री महेन्द्र कुमार शर्मा
4. मनीष कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री महेन्द्र कुमार शर्मा
5. अमित कुमार पुत्र स्व0 श्री महेन्द्र कुमार शर्मा जातियान ब्राहमण निवासी पदमाडा कंला तह0 मुण्डावर, अलवर।

प्रार्थी / वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: असल अप्रार्थी / प्रतिवादी

दावा:– इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधि0

–: निर्णय :–

1. वादी का सारतः वाद पत्र रहा कि :–

1. यह है कि आराजी हाल खाता सं० 65 में वर्णीत हाल ख0नम्बरान 139 रकबा 0.18 हैक्0, 301 रकबा 0.64 हैक्0, 431 रकबा 0.18 हैक्0, 519 रकबा 0.30 हैक्०, कुल किता 4 रकबा 1. 30 हैक्०, का 1/12 भाग व खाता सं0 66 में वर्णीत आराजी हाल ख0नम्बरान 137 रकबा 0. 20 हैक्0, 138 रकबा 0.18 हैक्0, 410 रकबा 0.25 हैक्०, 520 रकबा 0.27 हैक्0, 521 रकबा 0. 27 हैक्0, 557 रकबा 0.33 हैक्0, 627 रकबा 0.72 हैक्0, 628 रकबा 0.38 हैक्0, 659 रकबा 0. 72 हैक्, का 1/12 भाग वाके ग्राम पदमाडा कलां तह० मुण्डावर जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल हाल जमाबन्दी संलग्न है।
2. यह है कि उक्त विवादित आराजी मिन वादीगण के पिता / दादा रामस्वरूप के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है, जिस पर मिन वादीगण का पिता/दादा काबिज रहकर काश्त करता रहा है तथा मिन वादीगण के पिता / दादा के फौत होने के बाद से मिन वादीगण काबिज है तथा काश्त कर रहे है।
3. यह है कि मिन वादीगण के पिता/दादा के फौत होने पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिन वादीगण के पिता/दादा की विरास्त इन्तकाल मिन वादी स० 1 व हम वादीगण स० 2 ल० 5 के पिता/पति के नाम दर्ज करते समय खिलाफ मौका व खिंलाफ कानून, हम वादीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये मिन वादी स० 1 का महेश व मिन वादी स० 2 ल० 5 के

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

पिता/पति का नाम पप्पू व मिन वादी स० 1 व हम वादीगण के पिता/पति की वल्दीयत रामलाल दर्ज कर दिया, जो अंकन गलत है, जबकी मिन वादी स० 1 का नाम देवेन्द्र कुमार शर्मा व मिन वादी स० 2 ल० 5 के पति / पिता का नाम महेन्द्र कुमार शर्मा व वल्दीयत रामस्वरूप है, जो सही है, तथा मिन वादी स० 1 व हम वादी स0 2 ल० 5 के पिता/पति के समस्त शिक्षण दस्तावेजात व आधार कार्ड, पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजात में भी वादी स० 1 का नाम देवेन्द्र कुमार शर्मा व मिन वादी स० 2 ल० 5 के पिता/पति का नाम महेन्द्र कुमार शर्मा व वल्दीयत रामस्वरूप ही दर्ज है, लेकिन उकत आराजी में मिन वादी स० 1 व मिन वादी स० 2 ल० 5 के पिता/पति का नाम व वल्दीयत राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज हो रही है, इस गलत इन्द्राज के कारण मिन वादीगण विवादित आराजी के उपयोग उपभोग करने में परेशानी हो रही है। इसलिए मिन वादीगण राजस्व रिर्कोड में मिन वादी स० 1 का नाम महेश को हजफ कराकर, उसके स्थान पर देवेन्द्र कुमार शर्मा व मिन वादी स० 2 ल० 5 अपने पिता/पति का नाम पप्पू को हजफ कराकर, उसके स्थान पर महेन्द्र कुमार शर्मा व वल्दीयत रामलाल को हजफ कराकर, उसके स्थान पर रामस्वरूप दर्ज कराने के अधिकारी है। इसलिए दावा इश्तकरारहक मय दूरुस्ती पेश करना लाजिमी आया है।

4. यह है मिन वादी सं० 1 का नाम देवेन्द्र कुमार शर्मा व मिन वादी स० 2 ल० 5 के पिता/पति का नाम महेन्द्र कुमार शर्मा व वल्दीयत रामस्वरूप है,, जो सही नाम है तथा मिन वादी स० 1 व हम वादी स० 2 ल० 5 के पिता/पति के दस्तावेजात राशन कार्ड, पहचान पत्र, शिक्षण दस्तावेज, आधार कार्ड, डाईविंग लाईसेंस इत्यादि में उपरोक्त नाम ही दर्ज है, परन्तु विवादित आराजी में राजस्व कर्मचारियों की गलती से हम वादी स० 1 का व मिन वादी स० 2 ल० 5 के पिता/पति का नाम व वल्दीयत गलत दर्ज हो गयी है, जो, खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है, तथा हम वादी स० 1 के अलावा महेश व हम वादी स० 2 ल० 5 के पिता/पति पप्पू कोई और नही है, ना ही हम वादीगण के पिता / दादा के अलावा रामलाल कोई अन्य नही है तथा हम वादीगण नाम व वल्दीयत को दूरूस्त कराने से किसी अन्य को कोई नुकसान कारित नही होता है। इसलिए राजस्व रिर्कोड में गलत अंकन को दुरूस्त किया जाना कानून आवश्यक व न्याय संगत है।

5. यह है कि मिन वादीगण को राजस्व रिर्कोड में उक्त गलत अंकन की कतई जानकारी नहीं थी, परन्तु अब मिन वादीगण को राजस्व रिकॉड की आवश्यकता होने पर दिनांक 11/3/2019 को हल्का पटवारी से सर्म्पक किया तथा राजस्व रिकॉड की नकल प्राप्त की तो उक्त गलत अंकन की जानकारी हुई, जिस पर राजस्व रिकॉड की नकल प्राप्त कर , प्रतिवादी श्रीमान तहसीलदार गुण्डावर से राजस्व रिकॉड में मिन वादीगण का नाम व पिता का नाम दुरूस्त करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर श्रीमान तहसीलदार महोदय, ने राजस्व रिर्कोड दूरूस्त करने में असमर्थता जाहिर करते हुये कहा कि सक्षम अदालत से दुरूस्त करावे। बस यही वाद हेतूक पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।

6. अतः वाद वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे।

- यह है कि डिकी इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इस अमर की पारित की जाकर विवादित आराजी हाल खाता सं० 65 में वर्णीत हाल ख०नम्बरान 139 रकबा 0.18 है०, 301 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
गुण्डावर (सोरथल-तिजारा)

0.64 हैक0, 431 रकबा 0.18 हैक0, 519 रकबा 0.30 हैक०, कुल किता 4 रकबा 1.30 हैक0, का 1/12 भाग व खाता सं० 86 में वर्णीत आराजी हाल ख० नम्बरान 137 रकबा 0.20 हैक0, 138 रकबा 0.18 हैक0, 410 रकबा 0.25 हैक0, 520 रकबा 0.27 हैक0, 521 रकबा 0.27 हैक0, 557 रकबा 0.33 हैक0, 627 रकबा 0.72 है40, 628 रकबा 0.38 हैक0, 659 रकबा 0.72 हैक०, का 1/12 भाग वाके ग्राम पदमाडा कलां तह० मुण्डावर जिला अलवर में मिन वादी सं० 1 का नाम महेश व मिन वादी सं० 2 ल० 5 के पिता/पति का नाम पप्पू व वल्दीयत रामलाल को हजफ कर उसके स्थान पर मिन वादी सं० 1 का नाम देवेन्द्र कुमार शर्मा व मिन वादी सं० 2 ल० 5 के पिता/पति का नाम महेन्द्र कुमार शर्मा व वल्दीयत रामस्वरूप दर्ज किया जाकर, राजस्व रिकॉड दूरूस्त फरमाया जावे।

2. दावा दिनांक 03.06.2019 को दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामील हुई। प्रतिवादी सं0 01 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया।

3. वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में लेटर पैड सरपंच ग्राम पंचायत माजरी खोला, मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबन्दी सम्वत 2067–70, आधार कार्ड पेश किया गया

4. बहस वकीलवादी सुनी गई।

5. वादीगण ने वाद को महत्वपूर्ण व सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है। न्यायालय वादीगण के वाद को डिक्री किए जाने योग्य पाता है। परिणामतः वादीगण द्वारा वाद पत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है।

–ः आदेश :–

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। आराजी ख0 नम्बरान 139 रकबा 0.18 है0, 301 रकबा 0.64 है0, 431 रकबा 0.18 हैक0, 519 रकबा 0.30 है०, आराजी हाल ख0 नम्बरान 137 रकबा 0.20 है0, 138 रकबा 0.18 है0, 410 रकबा 0.25 है0, 520 रकबा 0.27 हैक0, 521 रकबा 0.27 है0, 557 रकबा 0.33 है0, 627 रकबा 0.72 है0, 628 रकबा 0.38 है0, 659 रकबा 0.72 है० का 1/12 भाग वाके ग्राम पदमाडा कलां तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 में वादी सं0 1 का नाम देवेन्द्र कुमार शर्मा व वलदीयत रामस्वरूप व वादी स० 2 ल0 5 के पिता/पति का नाम महेन्द्र कुमार शर्मा व महेन्द्र कुमार की वलदीयत रामस्वरूप राजस्व रिकॉड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार, मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल करें, निर्णय की पालना सुनिश्चित करें। पृथक से पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
123 / 2019	03.06.2019	04.07.2025

उनवान

1. देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी पदमाडा कंला तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
2. शशी देवी पत्नी स्व0 श्री महेन्द्र कुमार शर्मा
3. ज्योति शर्मा पुत्री स्व0 श्री महेन्द्र कुमार शर्मा
4. मनीष कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री महेन्द्र कुमार शर्मा
5. अमित कुमार पुत्र स्व0 श्री महेन्द्र कुमार शर्मा जातियान ब्राहमण निवासी पदमाडा कंला तह0 मुण्डावर, अलवर।

प्रार्थी / वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: असल अप्रार्थी / प्रतिवादी

दावाः– इस्तरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधि0

....

–: पर्चा डिक्री :–

दिनांक :–04.07.2025

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री रणवीर सिंह यादव व प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09.07.2025 को सुरेश कुमार बलाई उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

आराजी ख0 नम्बरान 139 रकबा 0.18 है0, 301 रकबा 0.64 है0, 431 रकबा 0.18 है0, 519 रकबा 0.30 है०, आराजी हाल ख0 नम्बरान 137 रकबा 0.20 है0, 138 रकबा 0.18 है0, 410 रकबा 0.25 है0, 520 रकबा 0.27 है0, 521 रकबा 0.27 है0, 557 रकबा 0.33 है0, 627 रकबा 0. 72 है0, 628 रकबा 0.38 है0, 659 रकबा 0.72 है० का 1/12 भाग वाके ग्राम पदमाडा कलां तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 में वादी स0 1 का नाम देवेन्द्र कुमार शर्मा व वलदीयत रामस्वरूप व वादी स० 2 ल0 5 के पिता/पति का नाम महेन्द्र कुमार शर्मा व महेन्द्र कुमार की वलदीयत रामस्वरूप राजस्व रिर्कोड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार, मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल करें, निर्णय की पालना सुनिश्चित करे। तहसीलदार, मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल करें, निर्णय की पालना सुनिश्चित करे। **खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।**

यह आज तारीख 09.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा